# नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कंपनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

**(सामान्य प्रशासन विभाग)**

संकल्प संख्या –......341....................../
N-1/
दिनांक ......01-04-2015....../

श्री मदन गिरी, चौकीदार, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, कटिहार के विरूद्ध कर्तव्यहीनता एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरतने से सम्बंधित निम्न आरोपों के लिए कार्यालय आदेश संख्या 2708, दिनांक 13.09.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें जाँच पदाधिकारी के रूप में श्री जेड0 एच0 परवेज, विद्युत अधीक्षण अभियंता (भंडार एव क्रय) को नियुक्त किया गयाः–

**आरोप संख्या 01**:– श्री गिरी को कार्य अवधि में शराब के नशे में रहने एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण सहायक विद्युत अभियंता, कटिहार (शहरी) ने पत्रांक 124, दिनांक 25.11.2003 एवं 528, दिनांक 07.04.2003 द्वारा श्री गिरी से स्पष्टीकरण पूछा गया, परन्तु श्री गिरी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया । साथ ही सहायक विद्युत अभियंता (शहरी) को धमकी दी गई कि इस अवर प्रमण्डल का कैश लुटवा देगें। श्री गिरी के इस कृत्य की सूचना विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, पूर्णियॉ को पत्रांक 431, दिनांक 10.04.2003 द्वारा दी गई थी।

जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन दिनांक 30.10.2012 को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन, अभिलेख पर उपलब्ध अन्य तथ्य एवं कागजातों की सम्यक समीक्षा की गई एवं आरोप पत्र में अंकित आरोप के प्रमाणित होने का आधार अंकित करते हुए संकल्प संख्या 922, दिनांक 08.08.2013 द्वारा श्री गिरी से द्वितीय कारण पृच्छा पुछा गया। श्री गिरी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

श्री गिरी द्वारा समर्पित जवाब की समीक्षा की गई एवं सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके द्वारा कोई विशिष्ट बातों का उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि खुद को बेवश एवं लाचार दर्शाया गया है। जाँच प्रतिवेदन एवं शराब पीकर कार्यालय में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार से सम्बन्धित स्पष्टीकरण से प्रमाणित होता है कि श्री गिरी द्वारा नशे में कैश लुटवाने की धमकी दी गई। श्री गिरी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब संतोषप्रद नहीं है।

अतः सम्पूर्ण मामले के सम्यक समीक्षोपरांत श्री मदन गिरी चौकीदार, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, कटिहार को एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड देने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार श्री मदन गिरी, चौकीदार, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, कटिहार को एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया जाता है।

**आदेशः–आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प की हस्ताक्षरित प्रति श्री मदन गिरी चौकीदार, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, कटिहार को अग्रसारित की जाय।**

आदेश से,

(राकेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी(मा0सं0एवं प्रशा0)

ज्ञाप संख्या 342 / ना0बि0पा0डि0कं0लि0, दिनांक 01-04-2015 /

**प्रतिलिपिः**– अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी / तकनीकी सचिव / अवर सचिव / निदेशक (प्रशासन) के वरीय निजी सहायक / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, के वरीय निजी सहायक / प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट पावर ट्रान्समीशन कम्पनी लिमिटेड, के आप्त सचिव / प्रबंध निदेश के साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

(राकेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी(मा0सं0एवं प्रशा0)

ज्ञाप संख्या 342 / ना0बि0पा0डि0कं0लि0, दिनांक 01-04-2015 /

**प्रतिलिपिः**–निदेशक (परियोजना) / सभी महाप्रबंधक(मा0सं0प्रशा0) / सभी मुख्य अभियंता / सभी उप महाप्रबंधक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता / सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता / महाप्रबंधक (राजस्व) / सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता / विद्युत कार्यपालक अभियंता (आई0टी0) / वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) उप महाप्रबंधक (जनसर्म्पक) / सभी लेखा पदाधिकारी / लेखा पदाधिकारी (स्थापना), नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना / श्री मदन गिरी चौकीदार,, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राकेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी(मा0सं0एवं प्रशा0)